संख्या- 39/2020/ 3955/77-6-2020-6(एम)/2018

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
3. प्रबन्ध निदेशक,
   पिकप/उ0प्र0 वित्तीय निगम।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 14 दिसम्बर, 2020**

विषयः- राज्य में निवेश को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न नीतियों के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में इन्सेन्टिव के रूप में एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति की सुविधा हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया (स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर) (एस0ओ0पी0) के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-1395/77-6-2020-5(एम)/2017 टी.सी.-2 दिनांक 12.6.2020 में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अन्तर्गत राज्य में निवेश को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न नीतियों एवं पूर्वगामी अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में इन्सेन्टिव के रूप में एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति की सुविधा हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया (स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर) के निर्धारण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-1395/77-6-2020-5(एम)/2017टी.सी.-2, दिनांक 12.06.2020 को निम्नवत् संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(क) एस.ओ.पी. के. अपेंडिक्स-1 के बिन्दु संख्या-8, 9 एवं प्रस्तर-(III) को हटाया जाता है। एस.ओ.पी. से सम्बन्धित शासनादेश के प्रख्यापन से पूर्व की अवधि हेतु प्रस्तुत एवं आगामी एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति के आवेदनों के सम्बन्ध में एस.ओ.पी. के प्रस्तर 2(ई) के प्रपत्र संख्या-5 हेतु एस.ओ.पी. के प्रस्तर 2(बी) में प्राविधानित कम्पनी के स्टेच्युटरी आडीटर्स का डिस्ट्रीब्यूटर्स के स्तर से की गयी अन्तरप्रान्तीय अनुवर्ती विक्रीत उत्पाद से सम्बन्धित प्रमाण पत्र के स्थान पर कम्पनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (जो निदेशक स्तर का हो) से एक ऐफिडेविट प्राप्त कर लिया जाये। तद्नुसार कम्पनी द्वारा पुनरीक्षित अपेंडिक्स-1 (बिन्दु संख्या-8, 9 एवं प्रस्तर-(III) को हटाकर) स्टेच्युटरी आडीटर्स से प्रमाणित कराकर उपलब्ध कराया जायेगा। एस.ओ.पी. के प्रस्तर 2(ई) के प्रपत्र संख्या-4 पर इंगित घोषणा पत्र के स्थान पर कम्पनी के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (जो निदेशक स्तर का हो) द्वारा एक एफिडेविट (अन्तरप्रान्तीय अनुवर्ती विक्रीत उत्पाद के सम्बन्ध में) उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका प्रारूप नोडल एजेन्सी द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(ख) ट्रेडिंग की दशा में कम्पनी को मुख्य उत्पादों की ट्रेडिंग गतिविधियों हेतु पृथक जी0एस0टी0आई0एन0 संख्या प्राप्त करना अनिवार्य होगा परन्तु बाई-प्रोडक्ट, स्क्रैप, निष्प्रयोजित मशीनरी आदि के विक्रय, जो कि मुख्य उत्पाद से इतर है, की ट्रेडिंग गतिविधि हेतु पृथक रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नही होगी।

(ग) एस.ओ.पी. शासनादेश प्रख्यापन के पूर्व में इकाई को दी गयी सुविधाओं ("पैन इण्डिया बिन्दु एवं वैट/सी.एस.टी./जी.एस.टी. में निहित प्रदेश सरकार के अंश के सापेक्ष प्रतिपूर्ति हेतु आगणन) से सम्बन्धित मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित शासनादेश दिनांक 12.05.2016 के प्राविधानों को अवक्रमित नहीं कर सकता है। इस प्रकार ईकाईयों को शासनादेश दिनांक 12.05.2016 द्वारा पैन इण्डिया के प्रस्तर के अन्तर्गत अनुमोदित सुविधा पूर्ववत् अर्ह रहेगी।

(घ) शासनादेश दिनांक 12.06.2020 द्वारा निर्गत एस0ओ0पी0 के प्रस्तर-2(सी) के अन्तर्गत कम्पनियों को पृथक रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रश्नगत विषयक सूचना दिए जाने की तिथि से 30 दिन के स्थान पर 90 दिन का समय प्रदान किया जाए।

कम्पनियों द्वारा 90 दिन की समय सीमा में भी पृथक रजिस्ट्रेशन प्राप्त न कर पाने की दशा में ऐसे प्रकरणों पर वाणिज्य कर विभाग से आख्या प्राप्त कर औद्योगिक विकास विभाग को निर्णय हेतु सन्दर्भित किया जायेगा।

(ङ) शासनादेश दिनांक 12.06.2020 द्वारा निर्गत एस.ओ.पी. में यदि भविष्य में किसी संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके संबंध में प्रशासकीय विभाग, राज्य कर विभाग एवं वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त करते हुए मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

2. उक्त शासनादेश संख्या-1395/77-6-2020-5(एम)/2017टी.सी.-2, दिनांक 12.06.2020 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। उक्त शासनादेश के शेष प्राविधान यथावत् रहेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-39/2020/3955(1)/77-6-2020-6(एम)/2018,तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इनवेस्ट यू0पी0, को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इनवेस्ट यू0पी0 की वेब-साइट पर अपलोड कराते हुए 150 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. समस्त अनुभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-6
9. नियोजन अनुभाग-1
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।